दिनांक	आज्ञा पत्र
17.1.18	वकील अपीलान्ट उपस्थित । बहस एक पक्षीय सुनी गई

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलान्ट ने अदालत मातहत में दावा पेश किया । दावा में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश की जिसका प्रतिवादीगण ने कोई खण्डन नहीं किया। अदालत मातहत ने सुनवाई करते हुये वादीगण का दावा साबित नहीं होने से खारिज कर दिया ।जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील पेश की । अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । रेस्पोंडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । विद्वान वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

50/2005 पृथ्वीसिंह आदि — जयसिंह आदि

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत में मेरे दावे का कोई खण्डन नहीं किया गया । तथा ना ही किसी प्रकार की साक्ष्य पेश की गई ।कानूनन जब वादी के दावा का कोई खण्डन नहीं किया जाता है तो दावा डिक्री किया जाना चाहिये किन्तु अदालत मातहत ने दस्तावेजी साक्ष्य को देखे बिना ही दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है । अदालत मातहत ने दावे में तनकीयात कायम की है किन्तु एक भी तनकी का निर्णय नहीं किया । खतौनी बन्दोबस्त में सं0- 2011 से 2027 में वादीगण का विवादित आराजी में हिस्सा दर्ज है। किन्तु अदालत मातहत ने केवल दावा खसरा गिरदावरी के अभाव में खारिज करने में कानूनी भूल की है ।योग्य अदालत मातहत ने जयसिंह के विरूद्ध 4 दावे ओर विचाराधीन थे जिन्हें तो अदालत मातहत ने डिक्री कर दिये और वादी के दावे खारिज कर दिये । जबकि वादी के दावों की नेचर भी डिक्री किये गये दावों के समान ही थी ।किन्तु अदालत मातहत ने एक जैसे

दिनांक	आज्ञा पत्र	

का निर्णय एवंडिक्री निरस्त कर वादीगण का दावा डिक्री किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत ने दावे में तनकीयों का निर्धारण किया गया है किन्तु एक भी तनकी का निर्णय नहीं कियागया । मौखिक साक्ष्य में विवादित आराजी पर वादीगण/अपीलान्टस् का कब्जा प्रमाणित है । जिसके विरोध में प्रतिवादीगण ने कोई खण्डन किसी भी साक्ष्य का नहीं किया है । ऐसी स्थिति में हम प्रकरण को अदालत मातहत में पुनः निर्णय हेतु भिजवाया जाना उचित मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31-3-2005 खारिज किया जाकर प्रकरण अदालत मातहत को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रकरण में पुनः साक्ष्य प्राप्त कर अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार योग्य अदालत मातहत में दिनांक 5-3-2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय सुनाया गया ।

17/1/18

भंवरलाल मेहरडा
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर